(वाद संख्या–**5030/17**)

29-01-2020

परिवादी, दिनेश तिवारी, उपस्थित हैं।

परिवादी की ओर से अपने बड़े पुत्र, राजेश तिवारी व पुत्रवधु (राजेश तिवारी की पत्नी) के द्वारा उसके अर्जित सम्पत्ति में मनमाना हिस्सा पाने के उद्देश्य से एक कुख्यात अपराधी, सुनील कुमार यादव के साथ मिलकर उसे तथा उसके शेष दोनों पुत्रों को खगड़िया मुफसिल थाना कांड सं0–24/17, दिनांक–15.01.2017 में गलत रूप से फंसाये जाने के संबंध में परिवाद दाखिल किया गया है।

उपरोक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन कांड में उपरोक्त कथित सुनील कुमार यादव के फर्द बयान के आधार पर परिवादी व उसके शेष दो पुत्रों सहित कुछ अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं, 341/324/307/506/34 व शस्त्र अधिनियम की धारा, 27 के अन्तर्गत संस्थित किया गया जिसमें परिवादी के छोटे पुत्र बब्लू तिवारी ऊर्फ विकास तिवारी द्वारा अपने हाथ में लिये आग्नेयास्त्र से सुनील कुमार यादव पर फायरिंग कर सुनील कुमार यादव के जांघ में कारतूस लगने का उल्लेख है। अनुसंधान व पर्यवेक्षण में परिवादी, उसके उक्त कथित शेष दो पुत्रों की संलिप्तता को भी अन्य प्राथमिकी अभियुक्तों के साथ सत्य पाया गया है। शेष दो प्राथमिकी अभियुक्तों की संलिप्तता के बिन्दु पर प्रसंगाधीन कांड वर्तमान में अनुसंधानान्तर्गत है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन कांड में परिवादी तथा उसके शेष दो पुत्रों की संलिप्तता को पुलिस द्वारा अनसंधानोपरान्त सत्य पाया गया है तो ऐसी स्थिति में परिवादी प्रसंगाधीन कांड में अपने को निर्दोष साबित करने हेतु संबंधित न्यायालय में विधिनुसार याचिका दाखिल कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के स्तर पर इस संबंध में कोई आदेश/निर्देश दिया जाना उचित नहीं हे।

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन परिवाद को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक